



BCC BANK

सनदी लेखाकार फर्म के चयन हेतु टेन्डर फॉर्म

Date of Publish: 04.03.2022

Date of Clarification: 08.03.2022 (11.00Am to 5.00PM)

Date of Submission : 14.03.2022 (upto 5 PM)

आवेदन पत्र का प्रारूप

1	फर्म का नाम					
2	फर्म की प्रकृति (पार्टनरशिप/प्रोपराईटर)					
3	मुख्यालय का पता					
4	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर					
5	ICAI रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं दिनांक					
6	आरबीआई यूनिक कोड नम्बर					
7	म.प्र. सहकारिता विभाग रजिस्ट्रेशन नम्बर					
8	पार्टनर का नाम					
9	स्टाफ की संख्या					
पार्टनर/प्रोपराईटर की जानकारी						
10	Name	Membership No.	FCA/ACA	Date of Enrolment with ICAI	Since when partner/Proprietor	Whether DISA/CISA Qualified
11	कार्य अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)					
	बैंकों के नाम	कार्य अवधि	कार्य की प्रकृति			
	फर्म के पार्टनर/प्रोपराईटर का बैंक के कर्मचारी/अधिकारी/संचालक से संबंध					
12	नाम	पदस्थापना	संबंध			
13	डी.डी. क्रमांक/दिनांक	राशि	जारीकर्ता बैंक का नाम			
14	बीसीसी बैंक का खाता क्रमांक		शाखा का नाम			
15	घोषणा पत्र संलग्न करें					

मैं (भागीदार/प्रोपराईटर) घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है।

फर्म का नाम

फर्म की सील एवं हस्ताक्षर

दिनांक—

घोषणा-पत्र/सहमति

मैं/हम.....घोषणा करता हूँ/करते हैं कि –

1. मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है।
2. मेरी फर्म/हमारी फर्म अथवा मेरे/साझेदार के विरुद्ध ICAI या अन्य किसी शासकीय/अन्य संस्था द्वारा दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।
3. सतत अंकेक्षण हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित नियम व शर्तों से मैं/हम सहमत हूँ एवं मुझे मान्य है तथा कार्य आवंटन की स्थिति में उक्त नियम व शर्तों का मेरी फर्म द्वारा पूर्णतः पालन किया जायेगा।
4. फर्म को आरबीआई/नाबार्ड/पंजीयक सहकारिता विभाग एवं बैंक के निर्देश मान्य होंगे।
5. फर्म को बैंक द्वारा देय निर्धारित पारिश्रमिक मान्य होगा।
6. सतत अंकेक्षण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में हिंदी भाषा में प्रस्तुत किये जाएंगे।
7. फर्म सतत अंकेक्षण कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगी।

फर्म की सील

भागीदार/प्रोप्राइटर का नाम एवं हस्ताक्षर

फर्म का नाम –

दिनांक –

सनदी लेखाकार फर्म के चयन हेतु नियम एवं शर्तें

- 1 सनदी लेखाकार फर्म की न्यूनतम योग्यता:-फर्म में दो सनदी लेखाकारों का जिसमें से एक सीए फुलटाईम पार्टनर हो तथा फर्म पंजीयन की अवधि आवेदन दिनांक से 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो।
- 2 सनदी लेखाकार फर्म के पास सीसा/डीसा प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- 3 सनदी लेखाकार फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा **पंजीयक** सहकारिता द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 4 समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म को दिया गया संपरीक्षण का कार्य किसी भी अन्य संबंधित सीए फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
- 5 आवेदक को कम्पनी अधिनियम की धारा 226 के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
- 6 **समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म के किसी साझेदार/निदेशक द्वारा बैंक/बैंक की शाखाओं का सांविधिक अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण स्थायी सम्पत्ति के मूल्यांकन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये।**
- 7 फर्म को सहकारी बैंक/बैंकों के आंतरिक/सांविधिक अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
- 8 ऐसी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी, जिसका मुख्यालय बैंक कार्यक्षेत्र (भोपाल जिले) में स्थित हो, यदि मुख्यालय कार्यक्षेत्र से बाहर हो तो फर्म का स्थानीय कार्यालय बैंक कार्यक्षेत्र में होना आवश्यक है।
- 9 किसी भी फर्म के चयन का पूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन, भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि., भोपाल को होगा एवं चयनित फर्म को बैंक की अधिकतम पाँच शाखाएं आवंटित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा आवंटित की गई शाखाओं को आवंटन के उपरांत बदलने का पूर्ण अधिकार प्रबंधन के पास होगा। **सीए द्वारा मासिक रूप से किये गये अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बैंक शाखाओं के किये गये मूल्यांकन के अनुसार कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में शाखायें बदलने अथवा सीए फर्म से किये गये अनुबंध को रद्द करने का पूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा, बैंक प्रबंधन द्वारा लिये गये निर्णय पर सी.ए. फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की ली गई आपत्ति अस्वीकार होगी।**
- 10 सीए फर्म के किसी पार्टनर /प्रोपाइटर का बैंक के किसी कर्मचारी /पदाधिकारी/संचालक से परिवारिक संबंध होने की दशा में आवेदन पत्र में संबंधों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- 11 बैंक द्वारा परीक्षक की नियुक्ति के उपरान्त परीक्षक द्वारा अभिस्वीकृति पत्र निश्चित समयावधि में बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक को देना होगा।
- 12 बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में अंकेक्षण फर्म को निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आई.एस. ऑडिट (इन्फार्मेशन सिस्टम ऑडिट) मासिक आधार पर तीन प्रतियों में (शाखाओं को दो प्रतियाँ एवं मुख्यालय को एक प्रति) एवं सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. शाखा द्वारा प्रतिवेदन अनुपालना मुख्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् अंकेक्षक को अपना **स्पष्ट अभिमत** पालन प्रतिवेदन अनुपालना पर प्रस्तुत कर रिपोर्ट सत्यापित करनी होगी।
14. सी.ए. फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों के अनुसार एन.पी.ए प्रावधान, बीमा, लाभ-हानि खाते एवं विभिन्न टेक्स (इनकम टेक्स, टी.डी.एस, सर्विस टेक्स इत्यादि) से संबंधित सलाह से बैंक को अवगत कराना होगा।
15. जिन अंकेक्षण फर्मों का समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु चयन किया गया है, उन फर्मों को बैंक द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्य करने हेतु पत्र प्रेषित किया जावेगा और इसके लिये सात दिवसीय स्वीकृति समयावधि निर्धारित की गई है, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि संबंधित सीए फर्म को बैंक द्वारा आवंटित अंकेक्षण कार्य स्वीकार नहीं है, तदनुसार बैंक उपरोक्त अंकेक्षण कार्य किसी अन्य सीए फर्म को आवंटित कर सकती है।
- 16 संबंधित अंकेक्षण फर्म द्वारा अभिस्वीकृति पत्र के साथ **निम्नलिखित दस्तावेज तीन प्रतियों में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ./प्रबंध संचालक) भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल को सीधे प्रेषित किये जावेंगे।**
 1. फर्म का ICAI पंजीयन पत्र
 2. फर्म का Latest ICAI Constitution Certificate
 3. डीसा/सीसा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति
 4. पूर्व में किये गये राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के आंतरिक/सतत अंकेक्षणों का संबंधित बैंक द्वारा जारी आवंटन पत्र/कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।
 5. पार्टनरशिप डीड/मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि।

17. सीए फर्म को आवंटित शाखाओं के सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करना होगा, इसलिये अंकेक्षक को हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। माननीय आयुक्त महोदय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. विन्ध्याचल भवन भोपाल के परिपत्र क्रं./ अंके./02 /2021/1272 दिनांक 27.12.2021 के परिपेक्ष में कार्यालय आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रेषित किये गये नवीनतम प्रारूप में आवंटित बैंक शाखाओं का अंकेक्षण कार्य किया जावेगा एवं लेखा परीक्षक को शाखाओं के दस्तावेजों और व्हाउचरों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण/सत्यापन आवश्यक है, साथ ही भविष्य में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता द्वारा अंकेक्षण कार्य के लिये जारी किये गये निर्देशों/ओदेशों एवं संशोधनों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
18. फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित पारिश्रामिक मान्य होगा, जिस फर्म को प्रधान कार्यालय का अंकेक्षण कार्य सौंपा जायेगा उन्हें एन.पी.सी.आई. अंतर्गत पेमेन्ट सेटलमेन्ट कार्य का वार्षिक अंकेक्षण भी करना होगा।
19. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नॉन रिफण्डेबल डिमाण्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि रुपये 2,000+360 (जीएसटी) कुल रुपये 2360/- (अक्षरी रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) जो कि **भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि., भोपाल** के नाम से देय, संलग्न होना चाहिए। बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
20. चयन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि., भोपाल** के पास सुरक्षित रहेगा और इस संबंध में फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। सनदी लेखपात फर्म का बैंक में सूचीबद्ध होना ही कार्य आवंटन की सुनिश्चितता नहीं है।

अतः इच्छुक सनदी लेखाकार फर्म अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित प्रमाणित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित घोषणा पत्र के साथ दिनांक 14.03.2022 (सांय 05:00 बजे तक) **भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड**, प्रधान कार्यालय, 24-25, न्यू मार्केट, टी. टी.नगर, भोपाल-462003 को प्राप्त हो जाना चाहिये, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वतः अमान्य होंगे।

-सही -

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि.,
न्यू मार्केट टी.टी. नगर, भोपाल